विशेष उधमी मित्रो के जरिए निःशक्त उधमियो को सहारा देने की योजना

प्रयोजन:

एनएचएफडीसी की रियायती ऋण योजनाओ के तहत स्वरोजगार उपक्रमो की स्थापना हेतु जरूरतमंद निःशक्तजन को ऋण प्राप्ति हेतु `हायता प्रदान करना

उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद निःशक्तजन को एनएचएफडीसी की रियायती ऋण योजनाओ के तहत स्वरोजगारी उपक्रमों की स्थपना हेतु ऋण प्रप्ति सहायता के रूप कें सूचना आवश्यक प्रकियात्मक/प्रलेखन औपचारिकताओ की जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करना है इस कार्य हेतु विभिन्न संस्थान/ संस्था एनएचएफडीसी के राज्य कार्यकारी संस्थओं / क्षेत्रीय ग्रमीण बैको के जरिए निःशक्नजनो को उधम स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण प्रांप्त करने में 'विशेष उधमी मित्र ' के रूप में मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करेगे

'विशेष उधमी मित्र ' के पंजीकरण के लिए पात्रता :

इस योजना के तहत चुनिदां विंशेष उधमी मित्रो को पात्र व सभावनाशील निःशक्त उधमियो की सहायतार्थ वितिय सहायता प्रदान की जाएगी, निम्न संस्थाओ/संगठनो के व्यक्ति 'विशेष उधमी मित्र के तौर पर नियुक्त किए जा सकते है –

1. विशेष राष्ट्रीय स्तर उधमिता विकास संस्थाने (ईडीआई) जैसे एनईआईएसबीयूडी आदि।
2. बीमा, एजेट, वितिय समावेशन का कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्षत्रीय ग्रमीण बैंक व डाकघर आदि के एजेंट
3. अप्रनि, एनएचएफडीसी द्वारा अनुमोदित अन्य संगठन/प्रशिक्षण संस्था/एनजीओ आदि

'विशेष उधमी मित्र ' का कार्य व दायित्व :–

चयनित 'विशेष उधमी मित्र ' निम्न सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है :–

क) स्वरोजगार उधम के लिए इच्छुक पात्र एंव संभावनाशील निःशक्तजन की पहचान करना
ख) उपयुक्त परियोजना / उत्पाद /उधम की पहचान करते हुए विनियोजनीय परियोजना रिर्पोठ तैयार करना तथा एनएचएफडीसी की योजनाओ के तहत राज्यकारी संस्था /क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक आदि से प्राप्त होने वाले रियायती ऋण का आवेदन भरना
ग) निःशक्त उधमी को उसके द्वारा चुनी गई व्यापारिक गतिविधि के संबध कें विभिन्न पंजी करणो/मंजूरी /अनापत्ति प्रमाण पत्र के वारे में मार्गदर्शन प्रदान करना
ध) परियोजना की सफलता पूर्वक स्थापना उपरांत भी 'विशेष उधमी मित्र ' सबंधित उधम के कामकाज की निगरानी करते हुए विभिन्न प्रबधकीय, वितीय तथा परिचालन समस्याओ पर काबू पाने में निःशक्त उधमी को सहायता प्रदान करेगा।

'विशेष उधमी मित्र का पैनल : 'विशेष उधमी के तौर पर कार्य करने वाले संस्थान/संस्थाओ को एससीए /आरआरबी के जरिए एनएचएफडीसी में पंजीकरण कराना होगा ।

विशेष उधमी मित्रो को वित्तीय सहायताः

एनएचएफडीसी द्वारा 'विशेष उधमी मित्रो को दी जाने वाली वितिय सहायता की दरें :

1) 1.00 लाख रूपये तक के ऋण के लिए : 500 रू. प्रति परियोजना/केस
2) 1.00 लाख रूपये तक से अधिक तथा 5.00 लाख के ऋण के लिए : 750 रू प्रति परियोजना/ केस
3) 5.00 लाख रूपये से अधिक ऋण : 1000 रू प्रति परियोजना/ केस

विशेष उघमी मित्र को जारी सहायता की प्रकिया :

विशेष उघमी मित्र की सेवाओ संबधी प्रभार संबधित राज्य को राकास/ क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक द्वारा संस्तुत विधिवत प्रमाणिक दावे/ बिल प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा

यदि राकास /क्षेत्रिय ग्रमिण बैंक को प्रत्यायोजित शक्तियो के तहत परियोजना स्वीकृत या जारी हुई है तो संबधित राकास/क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक निःशक्त लाभाथी के ऋण उपयोगिता ब्यौरा प्राप्त होने पर पंजीकृत विशेष उघमी मित्र के सेवा प्रभार दावे को राशि जारी की जाएगी।

एनएचएफडीसी का अधिकार

किसी भी विवाद की दशा में अप्रनि एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा.